संख्या-13/2023/605/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 03 मई, 2023**

विषय-राज्य में प्रख्यापित विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में अनुमन्य स्टाम्प शुल्क छूट लेने की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उद्यम को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक निवेश प्रेरक नीतियां एवं योजनाएं प्रख्यापित की गई हैं। उपरोक्त नीतियों एवं योजनाओं में से अधिकांश में भूमि के क्रय एवं अन्य संपत्ति संबंधित विलेखों पर स्टांप दर में छूट का प्रावधान किया गया है। उक्त को प्राप्त करने हेतु, एवं छूट की शर्तों का पालन न होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान स्पष्ट होना अति आवश्यक है, इस हेतु शासनादेश संख्या-4/2023/405/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनांक 31-03-2023 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के **प्रस्तर-2 एवं 3.1** को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

शासनादेश की प्रस्तर संख्या	**शासनादेश दिनांक 31-03-2023 में उल्लिखित प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
2	यदि किसी नीति/योजना के प्रख्यापक विभाग की व्यवस्था में वर्णित प्रावधान इन प्रावधानों से विरोधाभाषी अथवा विसंगत प्रकट होते हैं तो ऐसी दशा में इन शासनादेश के प्रावधान लागू होंगे।	यदि किसी नीति/योजना के प्रख्यापक विभाग की व्यवस्था में वर्णित प्रावधान इन प्रावधानों से विरोधाभाषी अथवा विसंगत प्रकट होते हैं तो ऐसी दशा में **प्रख्यापक विभाग के प्रावधान** लागू होंगे।
3.1	सामान्यत: बैंक गारण्टी जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बंधक रखी जायेगी। परन्तु यदि नीति/योजना में किसी अन्य प्राधिकारी/संस्था के पक्ष में बैंक गारण्टी बंधक रखने का प्रावधान है तो उक्त प्रावधान लागू होगा। परन्तु	सामान्यत: बैंक गारण्टी जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में बंधक रखी जायेगी। परन्तु यदि नीति/योजना में किसी अन्य प्राधिकारी/संस्था के पक्ष में बैंक गारण्टी बंधक रखने का प्रावधान है तो उक्त प्रावधान लागू होगा। परन्तु वह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वह प्राधिकारी/संस्था जिला स्तर से अभिन्न होगा। बैंक गारण्टी संबंधित उप निबन्धक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी।	प्राधिकारी/संस्था जिला स्तर से अभिन्न होगा। बैंक गारण्टी **अथवा उसकी स्वप्रमाणित प्रति** संबंधित उप निबन्धक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायगी।

शासनादेश संख्या-4/2023/405/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनांक 31-03-2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश के शेष अन्य प्रावधान यथावत प्रभावी होंगे।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2023/605(1)/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद।
4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
6-प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7-स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्।
8-प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9-विशेष कार्याधिकारी, कृषि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10-प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
11-प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.ए. कानपुर।
12-प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
13-औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
14-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्टयूपी, लखनऊ।
15-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/ बीडा/सीडा/लीडा।
16-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश सहित कि शासनादेश व अधिसूचनाओं को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करायें।
17-गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in